

कार्यालय: आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली
छत्तीसगढ़ शासन, 7-8 वां तल, ब्लॉक-2, प्लेट-सी,
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023

दिनांक 20/12/2025

(आदेश)

क्रमांक 41 /सी0जी0बी0/जनरल एडमिन/2025 यह प्रतिवेदित किया गया है कि श्री प्रमोद खाखा, वाहन चालक, छत्तीसगढ़ भवन इस कार्यालय में पदस्थ रहते हुये निम्न कृत्यों में गंभीर लापरवाही, स्वेच्छादित आचरण एवं अनुशासनहीनता के दोषी पाये गये है : इनके द्वारा ड्यूटी के दौरान नशे में शासकीय वाहन चलाना एवं मा0 अतिथियों एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गयी है। यह शासकीय सेवा आचरण नियमों के अंतर्गत गंभीर कदाचार है तथा शासकीय सेवा के हित में नहीं है। उक्त कृत्य के संबंध में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है।

अतः वाहन चालक श्री प्रमोद खाखा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

(आवासीय आयुक्त)
छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली

क्रमांक 42 /सी0जी0बी0/जनरल एडमिन/2025
प्रतिलिपि :-

दिनांक 20/12/2025

1. अपर आवासीय आयुक्त, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली।
2. उपायुक्त, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली।
3. मुख्य शिष्टाचार अधिकारी, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली।
4. उप संचालक (वित्त), ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली।
5. श्री प्रमोद खाखा, वाहन चालक।

(आवासीय आयुक्त)
छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली